**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या 1494**

**दिनांक 04.03.2020/14, फाल्गुन,1941 (शक) को उत्तर के लिए**

**अर्द्धसैनिक बलों में महिलाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान**

**1494. श्री अखिलेश प्रसाद सिंहः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) वर्तमान में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कुल कितनी महिलाएं हैं, तत्संबंधी बल-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अर्द्धसैनिक बलों में महिलाओं के लिए घोषित किया गया आरक्षण वांछित परिणाम देने में विफल रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और**

**(ग) क्या सरकार अर्द्धसैनिक बलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए उनके लिए एक विशेष भर्ती अभियान आरंभ करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (ग): जनवरी, 2016 में यह निर्णय लिया गया था कि आरंभ में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में कांस्‍टेबल स्‍तर पर 33% पदों और सीमा रक्षक बलों अर्थात बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी में कांस्‍टेबल स्‍तर पर 14-15% पदों को महिलाओं से भरे जाने के लिए आरक्षित किया जाएगा। दिनांक 01.02.2016 की स्थिति के अनुसार केन्‍द्रीय सशस्‍त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में महिला कार्मिकों की संख्‍या 20,568 थी, जो दिनांक 01.01.2020 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 27,126 हो गई है। सीएपीएफ-वार ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक** में दिया गया है। विशेष रूप से महिला अभ्‍यर्थियों के लिए कोई विशेष भर्ती अभियान आयोजित नहीं किया गया है।

**-2-**

**रा.स.अता.प्र.सं.1494 दिनांक 04.03.2020**

**अनुलग्‍नक**

**दिनांक 01.01.2020 की स्थिति के अनुसार महिलाओं का प्रतिनिधित्‍व**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **बल** | **कुल स्‍वीकृत संख्‍या**  | **कुल तैनात संख्‍या**  | **महिलाओं की संख्‍या**  |
| 01. | सीआरपीएफ | 324340 | 299410 | 8194 |
| 02. | बीएसएफ | 265173 | 237750 | 5215 |
| 03. | सीआईएसएफ | 162541 | 141829 | 8630 |
| 04. | आईटीबीपी | 89567 | 83337 | 2078 |
| 05. | एसएसबी | 97244 | 78777 | 2057 |
| 06. | एआर | 66408 | 60803 | 952 |
| **कुल** | **10,05,273** | **9,01,906** | **27,126** |

\*\*\*\*\*